भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2647
दिनांक 16.03.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

सामुदायिक जल निगरानी के लिए जेजेएम के अंतर्गत फील्ड टेस्टिंग किट

2647 श्रीमती सुधा मूर्तीः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार ने जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत पेयजल की गुणवत्ता की सामुदायिक निगरानी के लिए फील्ड टेस्टिंग किट का उपयोग करने के अनुभव समीक्षा की है और उससे प्राप्त प्रमुख सीखों का ब्यौरा क्या है;
(ख) आंकड़ों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए एफटीके परीक्षण के परिणामों को प्रयोगशाला परीक्षण के माध्यम से किस प्रकार सत्यापित्त या अनुपूरित किया जाता है;
(ग) क्या एफटीके के माध्यम से प्राप्त आंकड़ों का संदूषण के रुझानों की पहचान करने और स्थानीय जल सुरक्षा आयोजना को सूचित करने के लिए विश्लेषण किया जा रहा है; और
(घ) क्या राज्यों को फील्ड टेस्टिंग किट के माध्यम से प्राप्त परिणामों के आधार पर व्यवस्थित अनुवर्ती परीक्षण और सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) से (घ): जल जीवन मिशन के अंतर्गत फील्ड टेस्ट किट (एफटीके) को गांव, स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों सहित सेवा प्रदायगी स्थलों पर पेयजल की गुणवत्ता की निगरानी के लिए तथा सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) तथा व्यवहारवादी परिवर्तन संचार (बीसीसी) कार्यकलापों के लिए एक समुदाय-आधारित उपकरण के रूप में बढ़ावा दिया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एफटीके का उपयोग करके पेयजल स्रोतों और पारिवारिक नल जल का आवधिक परीक्षण करने के लिए ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों (वीडब्ल्यूएससी)/पानी समितियों, स्वयं सहायता समूहों और अन्य सामुदायिक स्वयंसेवकों के प्रशिक्षित सदस्यों को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अनुभव इंगित करता है कि एफटीके सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा

देने, पीने के पानी की गुणवत्ता के बारे में जागरूकता का प्रसार करने और बुनियादी संदूषण संकेतकों की शीघ्र पहचान को सक्षम करने में प्रभावी रही हैं। समुदाय-स्तरीय परीक्षण प्रथम स्तर के स्क्रीनिंग तंत्र के रूप में कार्य करता है और जल गुणवत्ता निगरानी के स्थानीय स्वामित्व को सुदृढ़ बनाता है। जेजेएम - जल गुणवत्ता प्रबंधन सूचना प्रणाली (जेजेएम-डब्ल्यूक्यूएमआईएस) पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 12.03.2026 तक, लगभग 24.80 लाख महिलाओं को एफटीके का उपयोग करके जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए प्रशिक्षित किया गया है। इसके अलावा, जेजेएम-डब्ल्यूक्यूएमआईएस पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 12.03.2026 तक, 2025-26 के दौरान एफटीके का उपयोग करके लगभग 47.59 लाख पानी के नमूनों का परीक्षण किया गया है और 2024-25 के दौरान एफटीके का उपयोग करके लगभग 93.84 लाख पानी के नमूनों का परीक्षण किया गया है।

एफटीके के माध्यम से प्राप्त परिणाम सांकेतिक स्क्रीनिंग परिणाम के रूप में कार्य करते हैं और प्रयोगशालाओं में पुष्टिकरण परीक्षण के माध्यम से अनुपूरित करते हैं। एफटीके परीक्षण के दौरान प्रतिकूल परिणामों के मामले में, पानी के नमूने एकत्र करने होते हैं और मानक प्रयोगशाला विधियों का उपयोग करके पुष्टि के लिए इन्हें निकटतम पेयजल परीक्षण प्रयोगशाला में भेजना होता है। जल जीवन मिशन के तहत स्थापित राज्य, क्षेत्रीय, जिला, उप-मंडल और ब्लॉक स्तर की प्रयोगशालाओं का नेटवर्क परीक्षण परिणामों का सत्यापन और विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को संदूषण पैटर्न, स्थानीय संदूषण की पहचान करने, सुभेद्य स्रोतों को प्राथमिकता देने और निवारक तथा उपचारात्मक उपायों की योजना बनाने के लिए प्रयोगशाला परीक्षण डेटा के साथ ऐसी जानकारी संकलित और विश्लेषण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

जल जीवन मिशन के तहत जारी कार्यसंबंधी दिशानिर्देशों में एफटीके का उपयोग करके पीने के पानी के नियमित समुदाय-आधारित परीक्षण और अनुवर्ती कार्रवाई निर्धारित करने का प्रावधान किया गया है। यदि एफटीके परीक्षण के माध्यम से संदूषण का पता चलता है, तो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पुष्टिकरण हेतु प्रयोगशाला में परीक्षण करने और कीटाणुशोधन, स्रोत शोधन, वैकल्पिक सुरक्षित स्रोतों के प्रावधान, या उपचार उपायों जैसे उचित सुधारात्मक उपाय शुरू करने की आवश्यकता होती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह भी सलाह दी गई है कि वे व्यवस्थित अनुवर्ती कार्रवाई और प्रतिक्रिया तंत्रों को सुदृढ़ बनाने के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण, पुनश्चर्या क्षमता निर्माण और एफटीके परीक्षण का सही ढ़ंग से दस्तावेजीकरण सुनिश्चित करें।
